This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 4 मई, 2017 / 14 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग—ख

अधिसूचना

शिमला—2, 27 अप्रैल, 2017

संख्याः जीएडी—बी—(ए) 1—15 / 2013—I (चम्बा).——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि निम्न छठे स्तम्भ के अन्तर्गत दर्शाए गए पटवार वृत्तों

से गठित जिला चम्बा में एक नई उप–तहसील ककीरा सृजित की जाए ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और उन्हें हो रही असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के छठे स्तम्भ के अन्तर्गत दर्शाए गए सात पटवार वृत्तों से गठित ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप–तहसील का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :—

उप–तहसील का नाम	उप–मण्डल का नाम	तहसील का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1	2	3	4	5	6	7
ककीरा	भटियात	भटियात	चम्बा	ककीरा	1. ककीरा 2. घटासनी 3. तुन्नुहटी 4. नैनीखड 5. खडेडा 6. गडाना 7. तारागढ़	भटियात

आदेश द्वारा,
वी0 सी0 फारका,
मुख्य सचिव ।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-15/2013-I (Chamba) Dated 27-4-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.*]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th *April,* 2017

No. GAD-B-(A)-1-15/2013-I (Chamba).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub-Tehsil Kakira in District Chamba may be created consisting of the Patwar Circles shown under 6th column below, so as to provide better services to the people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No.6 of 1954) readwith section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Kakira in District Chamba, Himachal Pradesh consisting of seven Patwar Circles shown under 6th column of this Notification with immediate effect:—

Name of Sub-Tehsil	Name of Sub-Division	Name of Tehsil	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil from where excluded
1	2	3	4	5	6	7
Kakira	Bhatiyat	Bhatiyat	Chamba	Kakira	1. Kakira 2. Ghatasani 3. Tunnuhati 4. Nainikhad 5. Khadeda 6. Gadana 7. Taragarh	Bhatiyat

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the

No. Agr-B-F (1)-3/2017 .—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the Joint Coordination Committee (JCC) for smooth implementation of "Phase-II Project for Crop Diversification in Himachal Pradesh" as under:—

INDIAN SIDE:

1.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary Agriculture, Govt. of H.P.	Chairman
2.	Chief Project Adviser, JICA ODA LOAN PMU Hamirpur	Member
3.	Director of Agriculture, Govt. of H.P.	Member
4.	Joint Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, H.P.	Member

5.	Managing Director, H.P. State Agricultural Marketing Board	Member
6.	Director Extension Education, CSKHPKV, Palampur	Member
7.	Director, SAMETI	Member
8.	Representative of Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	Observer
9.	Team Leader, PMC, HPCDP Hamirpur, H.P.	Observer
10.	Any Other person as agreed by the Chairman and JICA may be invited as Observer	Observer
11.	Project Director, HPCDP Hamirpur	Convener
JAPANESE SIDE :		
1.	Chief Adviser, Phase-II TCP	Co-Convener
2.	JICA Representative	Observer
3.	Representative of Japanese Embassy (When Necessary)	Observer

The Joint Co-ordinating Committee shall have the following functions:—

1. To facilitate inter organizational coordination.
2. To monitor the implementation of Development Study Programme.
3. To give policy directions for carrying out Technical Cooperation Programme and implementation of the project activities under Technical Cooperation Programme.
4. To approve and authorise the annual work plan of operation in accordance with its frame work and Record of Discussions (R/D) between GOI and JICA.
5. To review the measures taken by JICA and Government of India.
6. To review the progress under TCP.
7. To examine and endorsed the Joint Evaluation Report during the project.
8. To give recommendation to both Government of India and JICA for smooth implementation of the project.
9. The Committee shall meet twice in a year and it's headquarter shall be at Shimla.

By Order,
Sd/-
Additional Chief (Agri.).

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, *the* 24th *April,* 2017

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant 2 days commuted leave for 18.4.2017 and 19.4.2017 (2x2=4 days) in favour of Shri Mohit Bansal, Secretary, District Legal Services Authority, Kullu & Lahaul Spiti at Kullu.

Certified that Shri Mohit Bansal had joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mohit Bansal would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Kullu & Lahaul Spiti at Kullu but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
EXECUTIVE CHAIRMAN,
H.P. State Legal Services Authority,
Shimla-171 009.

INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 02nd *May,* 2017

No. Ind-A(B)5-1/2016.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order transfer and posting of following Managers, with immediate effect, in public interest:—

1. Smt. Promila Sharma, Manager, District Industries Centre, Mandi, Distt. Mandi is transferred and posted as Manager, District Industries Centre, Bilaspur, Distt. Bilaspur.

2. Smt. Chhime Angmo, Manager, District Industries Centre, Bilaspur, Distt. Bilaspur is transferred and posted as Manager, District Industries Centre, Mandi, Distt. Mandi.

The above officers are directed to report for duty at their new place of posting immediately and submit joining report to this Department as well as to the Director of Industries.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Industries).

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 अप्रैल, 2017

संख्याः पब–ए–(3)–3 / 2013.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपालए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में **जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारीए वर्ग–I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं। अर्थात्––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारीए वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियाँ.**––(1) अधिसूचना संख्याः पब–ए(3)21 / 95, तारीख 10–07–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) पद भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
मुख्य सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

––––––––––

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती ओर प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी

2. **पदों की संख्या.**––18 (अठारह)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान:**–(*i*) *नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः*–– ₹10,300–34800 जमा ₹5400 / –ग्रेड पे।

(*ii*) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँः*––स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹15,700 / – प्रतिमास।

5. **"चयन" पद अथवा "अचयन" पद.**––चयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निमगों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**––*(क) अनिवार्य अर्हताएं.*––(*i*) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जन संचार में स्नातक या जन सम्पर्क में स्नातक या जन सम्पर्क एवं विज्ञापन में स्नातक ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जन संचार में स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा या जन सम्पर्क में स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा या जन सम्पर्क एवं विज्ञापन में स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा ।

(*ii*) अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् किसी सरकारी विभाग / पब्लिक सेक्टर उपक्रम और प्रतिष्ठित समाचार पत्र / इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया / संगठन में जन सम्पर्क / पत्रकारिता / जनसंचार में तीन वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।

(ख) वाँछनीय अर्हता.––हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.**––*आयु.*––लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(*i*) *सीधी भर्ती की दशा में.*––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(i) **प्रोन्नति की दशा में.**––दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा, अवधि यदि कोई हो।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––(*i*) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

(*ii*) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकण्डमैंट स्थानान्तरण किया जाएगा.––सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पॉच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पद आधारित दो बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः–

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला	प्रोन्नति के लिए
दूसरा	सीधी भर्ती के लिए

टिप्पण.––रोस्टर प्रत्येक दूसरे बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् पद को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(*i*) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पॉच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, ऐसे पदधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात / स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–I.––उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों / दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–II.——उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जन जातीय / कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः——

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल ।

3. रोहड़ू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण–III.——उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें:——

(*i*) उप–मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(*ii*) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और तीन किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(*iii*) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृहनगर, गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(*i*) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहॉं उससे वरिष्ठ

सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, तो वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः––(*i*) अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(*ii*) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपरोक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**––विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**–– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**–– किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क **संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः––

(I) संकल्पनाः––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीककृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आनाः——प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी / सूचना अधिकारी को रू0 15,700 / –की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों मे रू0 471 / – (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.——प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार / व्यक्तित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 15,700 / – प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रू 471 / –(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से

अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमतिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–ख

जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....पुत्र/पुत्री श्री................................निवासी.................................. ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:––

1. यह कि प्रथम पक्षकार जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी के रूप में ....से प्रारम्भ होने और................ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात............. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹15,700/– प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहॉ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ——————————————
——————————————
——————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ——————————————
——————————————
——————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ——————————————
——————————————
——————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative english text of this department notification No. PUB-A(3)-4/2014 Dated 11th April, 2017 as required under article 348(3) of the constitution of India.*]

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 11th *April,* 2017

No. Pub.A(3)-4/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **District Public Relations Officer/Information Officer, Class-I** (Gazetted) in the Information & Public Relations Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Information and Public Relations Department, District Public Relations Officer/ Information Officer Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, District Public Relations Officer/Information Officer (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this Department Notification No. Pub-A(3)-21/95 dated 10-7-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Chief Secretary (I&PR).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER/INFORMATION OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of Post.**—District Public Relations Officer/ Information Officer

2. **Number of Post.**—18 (Eighteen)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)

4. **Scale of Pay.**—(*i*) *Pay Band for regular incumbent:* ₹ 10300-34800+ ₹ 5400/- Grade Pay.

(*ii*) *Emoluments for Contract employees.*— ₹15,700/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. **Whether "Selection" Post or "Non- selection" Post.**—Selection.

6. **Age for direct recruitment.**—18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—(*a*) *Essential Qualifications:*—(*i*) Bachelor of Journalism and Mass Communication or Bachelor of Public Relations or Bachelor of Public Relations & Advertising from a recognized University.

OR

Post Graduate Degree/Diploma in Journalism and Mass Communication or Post Graduate Degree/Diploma in Public Relations or Post Graduate Degree/Diploma in Public Relations & Advertising from a recognized University.

(*ii*) Three years professional experience in Public Relations/Journalism/Mass communication in any Government Department/Public Sector Undertakings and News paper/Electronics Media/organization of standing gained after obtaining essential educational qualifications.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age:*—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—(*i*) *Direct recruitment.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*b*) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(*ii*) *Promotion:*—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(*i*) 50% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(*ii*) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Public Relations Officers with atleast five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

For filling up the posts of District Public Relations Officer/Information Officer, the following 02 points post based roster shall be followed:—

Roster Points No.(s)	Category
1st	Promotee
2nd	Direct Recruit

Note.—The roster will be repeated after every 2nd post till the representation to all the categories is achieved up to the prescribed percentage. Thereafter the post is to be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra, the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra, the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholannal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra, the Remote/Rural areas shall be as under:

(*i*) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/ Tehsil Headquarter.

(*ii*) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(*iii*) Home town or area adjoining to area of home town with in the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority thereunder.

(*ii*) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment/ promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—DPC to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member, thereof, to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting

agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency / authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(*a*) Under this policy the District Public Relations Officer/ Information Officer in the Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

(*b*) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Administrative Secretary, Information & Public Relations, H.P. after obtaining approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The District Public Relations Officer/ Information Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ₹15,700/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade pay). An amount of ₹ 471/- (3% of the minimum of pay band+ Grade pay of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITITY.—The Administrative Secretary, Information & Public Relations, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(*a*) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹15,700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band +

grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹471/ (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(*d*) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(*e*) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(*f*) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(*g*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to his/her regular counterpart at the minimum of pay scale.

(*h*) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the District Public Relations Officer/Information Officer and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary, Information & Public Relations

This agreement is made on this ------------------- day of ---------- in the year ---------- between Sh./Smt. ------------------------ S/o/D/o Sh. ----------------------- R/o ---------------- Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Administrative Secretary, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a District Public Relations Officer/Information Officer on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a District Public Relations Officer/Information Officer for a period of one year commencing on day of ---- -------------and ending on the day of-------------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the-------- FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on --------------------- and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 15,700/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contractual District Public Relations Officer/Information Officer will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contractual appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (Irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to his/her regular counterpart at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. ___________________________

____

____

(Name and full address)

2. ___________________________

____

____

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. ______________________

____

____

(Name and full address)

2. ______________________

____

____

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अप्रैल, 2017

संख्याः मुद्रण (बी) 2–13/99.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, **कनिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग–III** (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कनिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) अधिसूचना संख्याः मुद्रण–(बी) 2–13/99 तारीख 02–05–2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कनिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(निशा सिंह),
अति0 मुख्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कनिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. **पद का नाम.**––कनिष्ठ यन्त्र चालक

2. **पद (पदों) की संख्या.**––10 (दस)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**––(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे–बैण्डः 5910–20200 / –रुपए जमा 2400 / –रुपए ग्रेड पे ।

(*ii*) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां :** 8310 / –रुपए प्रतिमास। (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**––अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पा़त्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द् को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, / किए गए थे।

टिप्पणी.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) *अनिवार्य अर्हता(एं).––* (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से लेटर प्रैस मुद्रण के ट्रेड में दो वर्ष का नेशनल ट्रेड / प्रशिक्षुता प्रमाण—पत्र कोर्स।

या

किसी सरकारी मुद्राणालय या आई.एस.ओ. प्रमाणित प्राईवेट मुद्रणालय में मशीन मैन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

(iii) विभिन्न प्रकार की स्वचालित **"लैटर प्रैस प्रिंटिग"** मशीनों को चला सकने की योग्यता। (पद के लिए चयन व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा)

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं).*——हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.——*आयु :*—— लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता:—— लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.——*सीधी भर्ती / प्रोन्नति के लिए :—*

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति.——भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.——(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.——इन्करों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु कनिष्ठ यन्त्र चालक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो बिन्दू "पद" आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:

रोस्टर बिन्दु. संख्या	प्रर्वग
पहला	प्रोन्नति द्वारा
दूसरा	सीधी भर्ती द्वारा
	टिप्पण:—रोस्टर प्रत्येक दूसरे बिन्दू के बाद तब तक दोहराया जायगा जब तक कि दोनों प्रवर्गो को कनिष्ठ यन्त्र चालक के काडर में निहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त होगा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा /समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगें, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स –सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई हो :

परन्तु की गई उपर्युंक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी सरंचना.––जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा; या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :––

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कनिष्ठ यन्त्र चालक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियॉ :

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ यन्त्र चालक को ₹ 8310 / – की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 250 / –रुपए की रकम (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी :

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार / व्यक्तितव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8310/– की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 250/– (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है,तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी ।

संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपमुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई. पी. एफ / जी. पी. एफ भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति,हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहॉ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (किन्हीं) उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

––––––––

उपाबन्ध 'ख'

कनिष्ठ यन्त्र चालक, और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति...पुत्र / पुत्री श्री.. निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ यन्त्र चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ यन्त्र चालक, के रूप में........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम **₹** 8310 / – प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है । तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ यन्त्र चालक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा मे, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैंण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणो से ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..

....

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..

....

....

(नाम व पूरा पता)

....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran(B)2-13/99 dated 29-04-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.*]

PRINTING AND STATIONERY

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29th *April,* 2017

No: Mudran (B)2-13 /99.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of **Junior Machineman, Class-III** (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Junior Machineman, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh, Printing and Stationery Department, Junior Ma chineman Class-III (Non–Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2005 notified vide Notification No: Mudran(B) 2-13/99 Dated 02.05.2005 are hereby repealed .

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the rule so repealed under sub- rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR MACHINEMAN CLASS-III (NON-GAZETTED) (NON- MINISTERIAL SERVICES) IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.**—Junior Machineman

2. **Number of Post(s).**—10(Ten)

3. **Classification.**—Class-III(Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. **Scale of Pay.**—Pay band for regular incumbent(s):

   (i) ₹ 5910-20200+ ₹ 2400 Grade Pay .

   (ii) Emoluments for Contract Employees(s) :

   ₹ 8310 /- P.M. (as per details given in Col.15-A).

5. **Whether "Selection post" or "Non-Selection post".**—Non -Selection

6. **Age for direct recruitment.**—18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies, who were/are subsequently appointed by such corporations /Autonomous Bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit (s).— *Essential Qualification(s).—(i)* 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education. / University.

(*ii*) Two years' National Trade/ Apperenticepship Certificate Course in trade of "Letter Press Printing"from a recognized I.T.I or from an Institution duly recognized by the Central / H.P. Government.

OR

Five years'experience as Machineman in a Government Printing Press or an ISO certified Private Printing Press.

(*iii*) Ability to operate upon different kinds of automatic "Letter Press Printing" Machines. (Selection to the post shall be made on the basis of practical test)

(b) *Desirable Qualification(s)*.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age :—* Not applicable.

Educational Qualification :— Not applicable

9. Period of probation, if any.—(*i*) *Direct Recruitment/ Promotion:—*(a) Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No pobation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by dirct recruitment or by promotion, secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— (*i*) 50% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(*ii*) 50% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment/ transfer grades from which promotion/secondmen/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Inkers who possess Five (5) years' regular service or regular combined with cotinuous adhoc service, if any, in the grade.

Provided that for filling up the posts of Junior Machineman the following 02 points "post" based roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st	Promotee
2nd	Direct recruit

Note.—The roster will be rotated after every 2nd point till the representation to both categories is achieved upto the prescribed persentage in the cadre of Junior Machineman. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under .

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other

recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (object type)/written test, practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not-withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT

(a) Under this policy, the Junior Machineman in the HP, Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP STAFF SECLECTION COMMISSION, HAMIRPUR.

The Controller, Printing & Stationery Department, HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Junior Machineman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus grade pay.) An amount of ₹ 250/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY :

The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS

Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test if considered necessary or expeditient on the basis of interview /personality test preceded by a screning test (objective type)/Written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agenc *i.e.* the H.P. Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he /she shall sign an agreement as per annexure -"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹8310 per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 250/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his /her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter official part at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Machineman & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery Department, H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the Year ……. …… …. Between…………Sh/Smt……………..S/o/D/o Shri ………………… R/o …… …………… … Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Machineman on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Machineman for a period of one year commencing on day of……… ……… …………. .and ending on the day of ………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………..and information notice shall not be necessary:

   Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual of the first Party will be ₹ 8310/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Junior Machineman will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exeeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the Contractual appointee:

   Provided that the un-availed casual leave, Medical leave and speacial leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years_tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and full Address)

1……………………………………..
……………………………………
……………………………………
(Name and full Address)

2……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and full Address)

1……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Name and full Address)

2……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Signature of the SECOND PARTY)

गृह विभाग
(अनुभाग–डी)

अधिसूचना

शिमला, 03 मई, 2017

संख्याः गृह–डी–ए (3)–1 / 2008.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस रूल्ज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस रूल्ज, (तेईसवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. रूल 8 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस रूल्ज, 1973 के रूल 8 के सामने विद्यमान उपवन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः——

"Competitive examination for direct recruitment:

(1) A competitive examination hereinafter called the 'Himachal Pradesh Administrative Services Combined Competitive Examination' which is being regulated under the provisions of the Himachal Pradesh Administrative Rules, 1973, as amended from time to time, shall be held at any place in Himachal Pradesh each year as and when notified from time to time for the purpose of selection by competition of as many candidates for the services as the Government may determine.

(2) Notice of the date fixed for the examination under sub-rule(1) supra shall be published in the Himachal Pradesh Gazette."

3. **रूल 9 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस रूल्ज, 1973 के रूल 9 के सामने विद्यमान उपवन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

"Qualifications:

(1) Applications for permission to sit at the said competitive examination will be called by the Commission and shall be made in the manner and form prescribed; and accompanied by such documents/papers as may be required by the Commission in this behalf.

(2) Unless the Government otherwise determines, no person shall be permitted to sit in the above competitive examination:—

(*a*) who has not attained the age of 21 (twenty one) years and has attained the age of 35 (thirty five) years on or before the first day of January of the year, in which the application(s) are invited by the Commission for competitive examination:

Provided that a candidate belonging to SCs/STs category of Himachal Pradesh/Other Backward Classes of Himachal Pradesh, as declared by the Himachal Pradesh Government from time to time/Children/Grand Children of Freedom Fighters of Himachal Pradesh shall be entitled to age relaxation for such period as may, from time to time, be determined by the Government in respect of the category to which he/she belongs.

(*b*) who does not possess a Bachelor's degree or its equivalent of a recognized University; and

(*c*) who does not send the examination fee, as fixed by the Government or the agency authorized by the Government, in this behalf from time to time, by the closing date. Examination fees received after the closing date will neither be refunded nor held over for subsequent examination.

(3) A Government servant who is holding substantive/officiating/ contractual appointment in H.P. Government or in High Court or any Court subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/Corporations/ substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognized University and has not attained the age of 42(forty two) years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission.

Note-I.—A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply; provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

Note-II:—Candidates who have passed the final professional M.B.B.S or any other Medical examination equivalent thereto but have not completed their internship by the time of submission of their application for the HAS etc. examination will be provisionally admitted to the examination provided they submit along with their applications a copy of certificate from the University/Institutions that they had passed the requisite final professional medical examination. In such cases, the candidates will be required to produce at the time of their interview original degree or a certificate from the concerned competent authority of the University/Institutions that they had completed or requirement (including completion of internship) for the award of degree."

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (गृह)।

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No.Home-D-A(3)- 1/2008 dated 03-05-2017 as required under article 348(3) of the Constitution of India.*]

HOME DEPARTMENT
(Section-D)

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 3rd *May*, 2017

No. Home-D-A(3)-1/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Police Service Rules, 1973, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Police Service (23rd Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment to rule 8.—For the existing provisions against rule 8 of Himachal Pradesh Police Service Rules, 1973, the following shall be substituted, namely:—

"Competitive examination for direct recruitment:

(1) A competitive examination hereinafter called 'the Himachal Pradesh Administrative Service Combined Competitive Examination' which is being regulated under the provisions of the Himachal Pradesh Administrative Rules, 1973, as amended from time to time, shall be held at any place in Himachal Pradesh each year as and when notified from time to time for the purpose of selection by competition of as many candidates for the service as the Government may determine.

(2) Notice of the date fixed for the examination under sub-rule (1) supra shall be published in the Himachal Pradesh Gazette".

3. Amendment to rule 9.—For the existing provisions against rule 9 of Himachal Pradesh Police Service Rules 1973, the following shall be substituted, namely:—

"Qualifications:

(1) Applications for permission to sit at the said competitive examination will be called by the Commission and shall be made in the manner and form prescribed; and accompanied by such documents/papers as may be required by the Commission in this behalf.

(2) Unless the Government otherwise determines, no person shall be permitted to sit in the above competitive examination:—

(*a*) who has not attained the age of 21(twenty one) years and has attained the age of 35(thirty five) years on or before the first day of January of the year, in which the application(s) are invited by the Commission for competitive examination:

Provided that a candidate belonging to SCs/STs category of Himachal Pradesh/Other Backward Classes of Himachal Pradesh, as declared by the Himachal Pradesh Government from time to time/Children/Grand Children of Freedom Fighters of Himachal Pradesh shall be entitled to age relaxation for such period as may, from time to time, be determined by the Government in respect of the category to which he/she belongs.

(*b*) who does not possess a Bachelor's degree or its equivalent of a recognized University; and

(*c*) who does not send the examination fee, as fixed by the Government or the agency authorized by the Government, in this behalf from time to time, by the closing date. Examination fees received after the closing date will neither be refunded nor held over for subsequent examination.

(3) A Government servant who is holding substantive/officiating/contractual appointment in H.P. Government or in High Court or any Court subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/ Corporations/substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognized University and has not attained the age of 42(forty two) years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission.

Note-I:—A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result, may

apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply; provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

Note-II:—Candidates who have passed the final professional M.B.B.S or any other Medical examination equivalent thereto but have not completed their internship by the time of submission of their application for the HAS etc. examination will be provisionally admitted to the examination provided they submit along with their applications a copy of certificate from the University/Institutions that they had passed the requisite final professional medical examination. In such cases, the candidates will be required to produce at the time of their interview original degree or a certificate from the concerned competent authority of the University/Institutions that they had completed or requirement (including completion of internship) for the award of degree".

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Home).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Shesh Dev s/o Shri Hari Ram, r/o Village Batahan, P.O. Gambhar Khad, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Reenu Devi d/o Shri Vijay Kumar, r/o Village Panyali, P.O. Barswan, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Shesh Dev s/o Shri Hari Ram, r/o Village Batahan, P.O. Gambhar Khad, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Shesh Dev s/o Shri Hari Ram, r/o Village Batahan, P.O. Gambhar Khad, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Reenu Devi d/o Shri Vijay Kumar, r/o Village Panyali, P.O. Barswan, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Shesh Dev s/o Shri Hari Ram, r/o Village Batahan, P.O. Gambhar Khad, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-12-2015 according to Hindu rites and customs at Village Batahan, P.O. Gambhar Khad, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-05-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 6th April, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन,
जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री तेज राम पुत्र श्री गरीबू राम, निवासी ग्राम भण्डारीवाला, डा0 व ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री तेज राम पुत्र श्री गरीबू राम, निवासी ग्राम भण्डारीवाला, डा0 व ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कृतिका की जन्म तिथि 23–02–2013 है, जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर कृतिका की जन्म तिथि 23–2–2013 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन,
जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती संगीता पत्नी श्री मुकेश कुमार, निवासी मकान नं0 75/2 वाल्मिकी बस्ती कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती संगीता पत्नी श्री मुकेश कुमार, निवासी मकान नं0 75/2 वाल्मिकी बस्ती कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के

अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अंकुश की जन्म तिथि 13–08–2003 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8–5–2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अंकुश पुत्र मुकेश कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सन्तोष सैनी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह सैनी, निवासी तारूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सन्तोष सैनी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह सैनी, निवासी तारूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कृतिका सैनी पुत्री जोगिन्द्र सिंह की जन्म तिथि 6–11–1990 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8–5–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर कृतिका सैनी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह की जन्म तिथि 6–11–1990 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह सैनी, निवासी मकान नं0 502 / 2 मैडीकल कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह सैनी, निवासी मकान नं0 502/2 मैडीकल कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पति भीम सिंह पुत्र मीना राम की मृत्यु तिथि 14–01–2010 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर भीम सिंह पुत्र मीना राम की मृत्यु तिथि 14–01–2010 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री विनोद कुमार सैनी श्री आर0 सी0 सैनी, निवासी नजदीक शान्ति संगम शिमला रोड़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री विनोद कुमार सैनी श्री आर0 सी0 सैनी, निवासी नजदीक शान्ति संगम शिमला रोड़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आयुश सैनी की जन्म तिथि 27–12–1998 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर आयुश सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सैनी की जन्म तिथि 27–12–1998 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री सलीम पुत्र श्री तासीन, निवासी मकान नं0 116 / 3 शिमला रोड़, हाथी की कब्र नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री सलीम पुत्र श्री तासीन, निवासी मकान नं0 116 / 3 शिमला रोड़ हाथी की कब्र, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रहिम की जन्म तिथि 20–10–2010 है जो नगर पालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रहिम पुत्र सलीम की जन्म तिथि 20–10–2010 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री सागर कुमार, निवासी अपोजिट जैन मन्दिर, वार्ड नं0 8 बडा चौक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री सागर कुमार, निवासी अपोजिट जैन मन्दिर, वार्ड नं0 8 बडा चौक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र ओजस गर्ग की जन्म तिथि 12–10–2011 है जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर ओजस गर्ग पुत्र सौरभ गर्ग की जन्म तिथि 12–10–2011 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री नरेन्दर दत्त, निवासी सिहारड, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री नरेन्दर दत्त, निवासी सिहारड, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 23–01–1993 है जो ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08–05–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मनीष शर्मा पुत्र नरेन्दर दत्त की जन्म तिथि 23–01–1993 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बाला राम, निवासी ग्राम डाबरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र इन्द्राज जन्म तिथि।

श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बाला राम, निवासी ग्राम डाबरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र अनुज कुमार की जन्म तिथि 22–08–2015, ग्राम पंचायत बिरला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपने पुत्र अनुज कुमार की जन्म तिथि 22–08–2015, दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डाबरिया व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिरला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08–05–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्मा : श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी ग्राम डाबरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र इन्द्राज जन्म तिथि।

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी ग्राम डाबरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कविता की जन्म तिथि 7–9–2015, ग्राम पंचायत बिरला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपनी पुत्री कविता की जन्म तिथि 7–9–2015, दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डाबरिया व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिरला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08–05–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–04–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है